



छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग

नार्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर (छ.ग.)

विज्ञापन क्रमांक 08/2023/परीक्षा/दिनांक 01/06/2023

प्रकाशन की तिथि 07/06/2023

:: विज्ञापन ::

व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2023

ऑनलाइन आवेदन करने की तिथि 05/06/2023 मध्याह्न 12:00 बजे से दिनांक 24/06/2023 रात्रि 11:59 बजे तक

महत्वपूर्ण

- विज्ञापित पद हेतु आवेदन केवल ऑनलाइन ही स्वीकार किए जाएंगे। किसी भी प्रकार के मैनुअल अथवा डाक द्वारा भेजे गए आवेदन पत्र आयोग द्वारा स्वीकार नहीं किए जाएंगे।
- परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को आवेदन करने के पूर्व स्वयं सुनिश्चित करना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु सभी पात्रता शर्तों को पूरा करते हैं। सभी पात्रता शर्तों को पूरा करने वाले अभ्यर्थियों को ही आवेदन करना चाहिए। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनंतिम होगा चाहे वे निर्धारित पात्रता शर्तों को पूरा करते हों। अभ्यर्थी को प्रवेश-पत्र जारी किए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि उसकी अभ्यर्थिता आयोग द्वारा अंतिम रूप से स्वीकार कर ली गई है। परीक्षा/साक्षात्कार हेतु अभ्यर्थी के चिन्हांकन के बाद ही आयोग पात्रता शर्तों की जाँच करता है।
- उपरोक्त परीक्षा के लिए अभ्यर्थी द्वारा परीक्षा शुल्क व पोर्टल शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से किया जा सकता है। परीक्षा शुल्क के भुगतान के लिए किसी बैंक के ड्राफ्ट अथवा चेक स्वीकार नहीं किये जाएंगे।
- उपरोक्त परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन दिनांक 05/06/2023 को मध्याह्न 12:00 बजे से 24/06/2023 रात्रि 11:59 बजे तक www.psc.cg.gov.in पर किए जा सकेंगे।
- ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य आवेदन करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 25/06/2023 अपराह्न 12:00 बजे से 26/06/2023 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
- ऑनलाइन आवेदन में सशुल्क त्रुटिसुधार का कार्य निःशुल्क त्रुटिसुधार करने की अंतिम तिथि के बाद दिनांक 27/06/2023 को मध्याह्न 12:00 बजे से 28/06/2023 रात्रि 11:59 बजे तक किया जा सकेगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु रु. 500/- (रुपये पांच सौ) शुल्क लिया जाएगा। उक्त सशुल्क त्रुटि सुधार का कार्य केवल एक बार ऑनलाइन ही किया जा सकेगा।
- वर्ग (कैटेगरी) सुधार के मामलों में यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप में भरे गये अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तथा मूल निवास में नहीं का विकल्प दिया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा, किन्तु पूर्व में छत्तीसगढ़ का मूल निवास विकल्प में नहीं दर्शित करने वाले अभ्यर्थियों के मामले में अनारक्षित वर्ग के रूप में भरे गये ऑनलाइन आवेदन पत्र को आरक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।
- सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात प्राप्त अभ्यावेदन को स्वयं निरस्त माना जाएगा।

(1) भारतीय नागरिक और भारत शासन द्वारा मान्य श्रेणियों के अभ्यर्थियों से छत्तीसगढ़ शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग के अंतर्गत व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के रिक्त पदों पर भर्ती के लिए छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। पदों का विवरण नीचे की तालिका में दर्शित है:-

स. क्र.	पद का नाम	कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या				कुल रिक्तियों की वर्गवार संख्या में से महिलाओं के लिए आरक्षित पद				कुल रिक्तियों में से नि:शक्तजनों के लिए आरक्षित पद	योग	वेतनमान
		अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.	अना.	अ.जा.	अ.ज.जा.	अ.पि.व.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
01	व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)	21	6	15	7	6	1	4	2	01 (OL/OA/OAL/ BL)	49	77640-136520 (Level-J-1)
कुल योग :-										49		

Abbreviations used:- OL- One Leg, OA - One Arm, OAL- One Arm & One Leg, BL- Both Leg

उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के एस.एल.पी.(सी) क्रमांक 19668/2022 के अंतिम आदेश के अध्याधीन होंगी।

परीक्षा के माध्यम से भरी जाने वाली रिक्तियों की संख्या 49 है। जिसमें 01 (OA-One Arm/OL-One Leg/BL-Both Leg/OAL-One Arm and One Leg) रिक्तियां बैचमार्क 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित हैं।

संबंधित विभाग से संशोधित रिक्तियां प्राप्त होने पर, रिक्तियों की अंतिम संख्या में परिवर्तन आ सकता है।

महत्वपूर्ण टीप :-

1. पदों की संख्या परिवर्तनीय है।

2. यह विज्ञापन संबंधित विभाग के भर्ती नियम/मांग-पत्र के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है।

3. छत्तीसगढ़ के स्थानीय/मूल निवासी निःशक्तजन (OL/OA/OAL/ BL) ही मान्य होंगे।

4. परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम Appendix - 'A', 'B', 'C' एवं ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं अन्य जानकारी Appendix - 'D' में उल्लेखित है।

5. ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अभ्यर्थी नियमों का अवलोकन कर स्वयं सुनिश्चित कर लें कि उन्हें परीक्षा में सम्मिलित होने की पात्रता है अथवा नहीं। यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा के किसी भी चरण में अथवा परीक्षाफल घोषित होने के बाद भी अनर्ह

(Ineligible) पाया जाता है अथवा उसके द्वारा दी गई कोई भी जानकारी गलत पाई जाती है तो उसकी अभ्यर्थिता/चयन परिणाम निरस्त किया जा सकेगा।

(2) सेवा की शर्त:-

- (i) सेवा की शर्त छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्त) नियम, 2006 यथा संशोधित द्वारा शासित होगा।
- (ii) व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) के पद पर नियुक्ति छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्त) नियम, 2006 के नियम 11 के अधीन होगा।
- (iii) किसी भी पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर सेवा समाप्त किया जा सकता है।
- (iv) चयनित उम्मीदवारों को स्वयं के खर्च पर अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किए गए मेडिकल फिटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

(3) पद का विवरण एवं शैक्षणिक अर्हता:-

- (i) पदनाम : व्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर)
- (ii) श्रेणी : राजपत्रित-द्वितीय श्रेणी
- (iii) वेतनमान: 77840-136520 (Level - J-1)
- (iv) आवश्यक शैक्षणिक अर्हता :-
मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि स्नातक की उपाधि।
- (4) परीक्षा अवधि :- चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परीक्षा पर की जाएगी।

महत्वपूर्ण नोट:-

- (i) अभ्यर्थी के पास उपर्युक्त आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हता ऑनलाइन आवेदन करने हेतु निर्धारित अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।
- (ii) ऑनलाइन आवेदन के साथ कोई भी प्रमाण पत्र संलग्न करने की आवश्यकता नहीं है।
- (5) निर्धारित आयु सीमा:- अभ्यर्थी की आयु दिनांक 01.01.2024 को 21 वर्ष से कम तथा 35 वर्ष से अधिक न हो, उच्चतर आयु सीमा में निम्नानुसार छूट की पात्रता होगी:-
- (i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अधिसूचित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) का होकर राज्य का मूल निवासी है, तो उसे उच्चतर आयु सीमा में पांच वर्ष तक की छूट दी जाएगी।
- (ii) महिलाओं (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अनाक्षित) के लिए उच्चतर आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट होगी।
- (iii) छत्तीसगढ़ शासन के स्थायी/अस्थायी कर्मचारियों के लिए उच्चतर आयु सीमा में 03 वर्ष की छूट होगी।
- (iv) छ0ग0 शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 3-2/2015/1-3, रायपुर दिनांक 30.01.2019 के अनुसार सभी छूटों को मिलाकर अधिकतम आयु सीमा 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी।
- (6) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने के पहले विज्ञापन में दर्शित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं एवं आयु के अनुरूप अपनी अर्हता की जांच कर स्वयं सुनिश्चित कर लें एवं अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने की स्थिति से पूर्णतया संतुष्ट होने पर ही वे आवेदन-पत्र भरें। परीक्षा में सम्मिलित करने अथवा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि अभ्यर्थी को अर्ह मान लिया गया है तथा चयन के किसी भी स्तर पर अभ्यर्थी के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र बिना कोई सूचना दिये निरस्त कर उसकी अभ्यर्थिता समाप्त कर दी जाएगी।
- (7) साक्षात्कार के पूर्व वांछित दस्तावेजों का प्रस्तुत किया जाना:- साक्षात्कार के पूर्व अनुप्रमाणन फार्म के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों और अंकसूचियों की स्वयं अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा जिसके परीक्षण उपरांत अभ्यर्थी की अर्हता (Eligibility) की जांच की जाएगी।
- (i) आयु संबंधी प्रमाण के लिये सामान्यतः हाईस्कूल/हायर सेकेंडरी स्कूल अथवा मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट अथवा तत्सम अर्हता का प्रमाण

पत्र। अन्य प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे।

- (ii) विज्ञापित पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हता से संबंधित समस्त सेमेस्टर/वर्ष की अंकसूची।
- (iii) पद के लिए आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं का प्रमाण-पत्र यथा- स्नातक/स्नातकोत्तर उपाधि, पंजीयन, अनुभव आदि जो संबंधित पद के लिए आवश्यक है, की स्वप्रमाणित अथवा किसी राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपियां। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें, कि आवेदित पद हेतु वांछित आवश्यक शैक्षणिक अर्हताओं, अनुभव एवं अन्य अर्हताओं को अंतिम तिथि तक धारित करना आवश्यक है।
- (iv) अस्थिबाधित निःशक्तजन के अंतर्गत आने वाले उम्मीदवारों को "अधिकृत चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी निःशक्तता" का प्रमाण-पत्र।
- (v) **जाति प्रमाण पत्र :-**
(a) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) की श्रेणी में आता है तथा जो इस विज्ञापन के तहत दर्शित छूट (आयु/शुल्क/आरक्षण) का लाभ प्राप्त करने हेतु ऑनलाइन आवेदन कर रहा हो, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा।
- (b) अनुसूचित जनजाति/अनुसूचित जाति के विवाहित महिला अभ्यर्थियों को अपने नाम के साथ पिता के नाम लगा जाति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है, एवं तदनुसार जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर इसे मान्य नहीं किया जाएगा।
- (c) अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण केवल गैर क्रीमीलेयर के आधार पर ही देय है। गैर क्रीमीलेयर का निर्धारण वार्षिक आय के आधार पर होता है। अतः अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र के साथ गैर क्रीमीलेयर के अंतर्गत आने के प्रमाण हेतु ऐसा आय प्रमाण पत्र भी संलग्न करना होगा जो आवेदन करने की तिथि से पूर्ववर्ती 3 वर्ष के भीतर जारी किया हुआ हो।
- (d) यदि निर्धारित उच्चतर आयु सीमा में छूट चाही गई है तो निम्न दस्तावेज/प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें:-
- (i) विज्ञापन की कंडिका - 5(ii) एवं 5(iii) के अंतर्गत उच्चतर आयु सीमा में छूट की पात्रता के लिए सक्षम अधिकारी/नियोक्ता अधिकारी का प्रमाण-पत्र।
- (8) **नियोक्ता का अनापत्ति प्रमाण-पत्र :-**
- (i) यदि अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मंडल/उपक्रम में कार्यरत हों अथवा भारत सरकार अथवा उनके किसी उपक्रम की सेवा में कार्यरत हों या राष्ट्रीयकृत/अराष्ट्रीयकृत बैंक, निजी संस्थाओं एवं किसी भी विश्वविद्यालय में कार्यरत हों तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, परन्तु ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व अथवा इसके तुरंत पश्चात् उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त कर दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करें।
- (ii) यदि ऐसे अभ्यर्थी को आयोग द्वारा साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाता है, तो उन्हें साक्षात्कार के पूर्व नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख को अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु प्रस्तुत आवेदन की प्रति एवं उक्त आवेदन की नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख द्वारा दी गई अभिसूचीकृति (जिसमें आवेदन प्राप्ति की तिथि भी अंकित हो) प्रस्तुत करना होगा।
- (iii) यदि अभ्यर्थी उपरोक्तानुसार "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्रस्तुत करने में असफल रहते हों, तो ऐसी स्थिति में उनका साक्षात्कार तो लिया जाएगा, परन्तु साक्षात्कार पश्चात् चयन की स्थिति में उन्हें संबंधित संस्था द्वारा भारमुक्त न किये जाने आदि के फलस्वरूप उनकी नियुक्ति निरस्त किये जाने की स्थिति बनती है तो इसके लिए आयोग/शासन के संबंधित विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा इस संबंध में ऐसे अभ्यर्थी का कोई अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- (9) **आपराधिक अभियोजन :-**
- (A) ऐसे अभ्यर्थी को आपराधिक अभियोजन के लिए दोषी ठहराया

जाएगा जिसे आयोग ने निम्नलिखित के लिए दोषी पाया हो:-

- (i) जिसने अपनी अभ्यर्थिता के लिए परीक्षा या साक्षात्कार में किसी भी तरीके से समर्थन प्राप्त किया हो या इसका प्रयास किया हो, या
 - (ii) पररूप धारण (इम्परोसोनेशन) किया हो, या
 - (iii) किसी व्यक्ति से पररूप धारण कराया हो/किया हो, या
 - (iv) फर्जी दस्तावेज या ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत किये हों जिनमें फेरबदल किया हो, या
 - (v) चयन के किसी भी स्तर (Stage) पर असत्य जानकारी दी हो या सारभूत जानकारी छिपायी हो, या
 - (vi) परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पाने के लिये कोई अन्य अनियमित या अनुचित साधन अपनाया हो, या
 - (vii) परीक्षा/साक्षात्कार कक्ष में अनुचित साधनों का उपयोग किया हो या करने का प्रयास किया हो, या
 - (viii) परीक्षा/साक्षात्कार संचालन में लगे कर्मचारियों को परेशान किया हो या धमकाया हो या शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या
 - (ix) प्रवेश-पत्र/बुलावा पत्र में अभ्यर्थियों के लिये दी गई किन्हीं भी निर्देशों या अन्य अनुदेशों जिनमें परीक्षा संचालन में लगे केन्द्राध्यक्ष/सहायक केन्द्राध्यक्ष/वीक्षक/प्राधिकृत अन्य कर्मचारी द्वारा केन्द्राध्यक्ष के द्वारा स्थापित व्यवस्था अनुसार मौखिक रूप से दिए गए निर्देश भी शामिल हैं, का उल्लंघन किया हो, या
 - (x) परीक्षा कक्ष में या साक्षात्कार में किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार किया हो, या
 - (xi) छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के भवन परिसर/परीक्षा केन्द्र परिसर में मोबाइल फोन/संचार यंत्र प्रतिबंध का उल्लंघन किया हो।
- (B) उपरोक्त प्रकार से दोषी पाये जाने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन के अलावा उन पर निम्नलिखित कार्यवाही भी की जा सकेगी-
- (i) आयोग द्वारा उस चयन के लिये, जिसके लिए वह अभ्यर्थी है, उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जा सकेगी और/या
 - (ii) उसे या तो स्थायी रूप से या विशिष्ट अवधि के लिए निम्नलिखित से विवर्जित किया जाएगा-
- (a) आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या उसके द्वारा किये जाने वाले चयन से।
 - (b) राज्य शासन द्वारा या/उसके अधीन नियोजन से वंचित किया जा सकेगा, और
 - (c) यदि वह शासन के अधीन पहले से ही सेवा में हो तो उपरोक्तानुसार किए गए उल्लंघन के लिए उस पर अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकेगी,

परन्तु उपरोक्त कार्यवाही के परिणामस्वरूप कोई शास्ति तब तक आरोपित नहीं की जाएगी, जब तक कि-

- (i) अभ्यर्थी को लिखित में ऐसा अभ्यावेदन, जो वह इस संबंध में देना चाहे, प्रस्तुत करने का अवसर नहीं दिया गया हो, और
- (ii) अभ्यर्थी द्वारा अनुमत अवधि के भीतर प्रस्तुत किये गये अभ्यावेदन पर विचार न किया गया हो।

(10) अनर्हता:-

- (A) छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :-
- (i) कोई भी पुरुष अभ्यर्थी, जिसकी एक से अधिक पत्नियां जीवित हों और कोई भी महिला अभ्यर्थी जिसने ऐसे व्यक्ति से विवाह किया हो जिसकी पहले ही एक पत्नि जीवित हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा/नहीं होगी।

परन्तु यदि शासन का इस बात से समाधान हो जाए कि ऐसा करने के विशेष कारण हैं, तो वह ऐसे अभ्यर्थी को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगा।

- (ii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक उसे ऐसी स्वास्थ्य परीक्षा में, जो विहित की जाए,

मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ और सेवा या पद के कर्तव्य के पालन में बाधा डाल सकने वाले किसी मानसिक या शारीरिक दोष से मुक्त ना पाया जाए।

परन्तु आपवादिक मामलों में किसी अभ्यर्थी को उसकी स्वास्थ्य परीक्षा के पूर्व किसी सेवा या पद पर इस शर्त के अध्याधीन अस्थायी रूप से नियुक्त किया जा सकेगा कि यदि उसे स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य पाया गया तो उसकी सेवाएं तत्काल समाप्त की जा सकेंगी।

- (iii) कोई भी अभ्यर्थी किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए उस स्थिति में पात्र नहीं होगा, यदि ऐसी जांच के बाद, जैसे कि आवश्यक समझी जाए, नियुक्ति प्राधिकारी का इस बात से समाधान हो जाए कि वह सेवा या पद के लिए किसी दृष्टि से उपयुक्त नहीं है।

- (iv) कोई भी अभ्यर्थी जिसे महिलाओं के विरुद्ध किसी अपराध का सिद्ध दोष ठहराया गया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

परन्तु जहां तक किसी अभ्यर्थी के विरुद्ध न्यायालय में ऐसे मामले, लंबित हों तो उसकी नियुक्ति का मामला आपराधिक मामले का अंतिम विनिश्चय होने तक लंबित रखा जाएगा।

- (v) कोई भी अभ्यर्थी, जिसने विवाह के लिए नियत की गई न्यूनतम आयु से पूर्व विवाह कर लिया हो, किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा।

- (B) छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 के अनुसार निम्नलिखित अनर्हता होगी :-

- (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से विधि में उपाधिधारण नहीं करता हो,
- (ii) अच्छे चरित्र का न हो तथा शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ न हो तथा ऐसी कोई निर्योग्यता से मुक्त न हो जो उसे ऐसी नियुक्ति के लिए अनुपयुक्त बनाता हो,
- (iii) किसी उच्च न्यायालय, सरकार, शासकीय प्राधिकरण या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सेवा से बर्खास्त या हटाया गया हो,
- (iv) किसी नैतिक अनाचार के अपराध में शामिल रहने के लिये दोषसिद्ध हो या किसी उच्च न्यायालय या संघ लोक सेवा आयोग या किसी राज्य सेवा आयोग या किसी सेवा चयन बोर्ड या कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्थायी रूप से विवर्जित या निरर्हत कर दिया गया हो,
- (v) अधिवक्ता अधिनियम, 1961 या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन व्यावसायिक दुराचरण का दोषी पाया गया हो।
- (vi) अभ्यर्थी की ओर से अपनी अभ्यर्थिता के लिए किसी भी साधन से समर्थन अभिप्राप्त करने के लिए किसी प्रयास में भाग लेने पर परीक्षा में प्रवेश या सेवा में चयन के लिए उसकी निरर्हता माना जा सकेगा।

(11) पहचान चिन्ह :-

उत्तर-पुस्तिका पर परीक्षार्थी केवल निर्धारित स्थान पर ही अपना अनुक्रमांक लिखें। उत्तर-पुस्तिका के अन्य किसी भाग पर न तो अनुक्रमांक, न अपना नाम और न ही अन्य कोई ऐसा चिन्ह अंकित करें, जिससे परीक्षार्थी की पहचान के बारे में कोई बोध हो सके। उत्तर-पुस्तिका के साथ अन्य कोई सामग्री संलग्न करना भी वर्जित है। परीक्षार्थी अपनी उत्तर-पुस्तिका में किसी भी लाइन को या उत्तर के किसी भी भाग को हाईलाइट नहीं करेगा। उत्तर पुस्तिका में संबंधित विषय से हटकर कोई चित्र, संकेत चिन्ह, धार्मिक चित्र बनाने अथवा शब्द लिखने पर वह पहचान चिन्ह बनाना माना जायेगा। पहचान चिन्ह वाले प्रकरणों में आवेदक को सूचना देना अनिवार्य नहीं रहेगा तथा बिना किसी सूचना के उसकी अभ्यर्थिता निरस्त की जाएगी।

- (12) चयन प्रक्रिया :- विज्ञापित पद पर चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षणिक योग्यताएं न्यूनतम हैं और इन योग्यताओं के होने से ही उम्मीदवार परीक्षा/साक्षात्कार हेतु बुलाये जाने के हकदार नहीं हो जाते हैं।

- (i) उम्मीदवार का चयन मुख्य परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर गुणानुक्रम एवं प्रवर्गवार किया जाएगा।

- (ii) उम्मीदवार का चयन परीक्षा एवं साक्षात्कार के माध्यम से किया जाएगा।

(iii) परीक्षा योजना एवं एवं पाठ्यक्रम Appendix - 'A', 'B', 'C' में दिया गया है।

(13) ऑनलाइन आवेदन हेतु आवेदन शुल्क :-

(i) छत्तीसगढ़ राज्य के बाहर के निवासी आवेदकों के लिए रुपये 400/- (चार सौ रुपये) आवेदन शुल्क देय होगा। छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी आवेदकों से कोई परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। सभी अभ्यर्थियों के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा किन्तु सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में त्रुटि सुधार शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।

(14) ऑनलाइन आवेदन तथा त्रुटि सुधार की समयावधि समाप्त होने के उपरांत विशेष प्रकरण मानते हुए अभ्यर्थियों को केवल जन्मतिथि, लिंग, वर्ग, मूल निवास एवं निःशक्तता संबंधित त्रुटियों में ही सुधार का अवसर विज्ञापन में दर्शित समयावधि के लिए सशुल्क दिया जाएगा।

(i) सशुल्क त्रुटि सुधार हेतु संबंधित अभ्यर्थी से एक या अधिक त्रुटियों के सुधार के लिए रुपये 500/- का शुल्क लिया जाएगा। यदि किसी अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन पोर्टल में छत्तीसगढ़ के निवासी कॉलम में हां के स्थान पर नहीं का त्रुटि सुधार किया जाए तो अभ्यर्थी को नियमानुसार शुल्क का भुगतान करना होगा। छत्तीसगढ़ निवासी कॉलम में नहीं के स्थान पर हां का त्रुटि सुधार किया जाए तो शुल्क की राशि वापस नहीं होगी।

(ii) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया में पोर्टल शुल्क तथा पेमेंट गेटवे शुल्क निर्धारित दर अनुसार अभ्यर्थी द्वारा देय होंगे।

(iii) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी प्रकार से त्रुटि सुधार का कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा।

(iv) सशुल्क त्रुटि सुधार के पश्चात् संबंधित अभ्यर्थी के डाटा को अंतिम माना जाएगा तथा साक्षात्कार/अंतिम चयन के पूर्व दस्तावेज परीक्षण के दौरान उक्त डाटा का मूल दस्तावेजों के आधार पर सत्यापन किया जाएगा।

(v) सशुल्क त्रुटि सुधार की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन होगी।

(15) परीक्षा के संबंध में :-

(i) आयोग द्वारा आयोजित परीक्षा प्रणाली में पुनर्गणना अथवा पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। अतः इस संबंध में किसी प्रकार के अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।

(ii) परीक्षा के दौरान यदि किसी परीक्षार्थी को किसी प्रश्न या उत्तर विकल्प में किसी प्रकार की मुद्रण संबंधी त्रुटि, या प्रश्न त्रुटिपूर्ण होने/उत्तर विकल्प त्रुटिपूर्ण होने या अन्य प्रकार की त्रुटि की शिकायत करना है तो उसे आयोग द्वारा दिये गये निर्धारित समयावधि में ऑनलाइन आपत्ति दर्ज करनी होगी एवं तत्संबंध में आवश्यक दस्तावेज परीक्षा नियंत्रक, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नॉर्थ ब्लॉक, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर को रजिस्टर्ड/पोस्ट/व्यक्तिगत रूप से आयोग में जमा कर सकते हैं।

(16) अत्यन्त महत्वपूर्ण :-

(i) छत्तीसगढ़ निःशक्तजन श्रेणी के अभ्यर्थी को ऑनलाइन आवेदन पत्र में यथारथान स्पष्ट उल्लेख कर प्रमाण पत्र का क्रमांक, दिनांक, जारीकर्ता का पदनाम एवं अन्य जानकारी का स्पष्ट उल्लेख करें।

(ii) आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 तथा भारत सरकार, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का पत्र क्रमांक F.No. 29-6/2019-DD-III Dated 10/08/2022 के अनुसार अभ्यर्थी को प्रपत्र-1 एवं प्रपत्र-2 पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से

अक्षम है तथा उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए सह लेखक की सेवाएं लेना अपरिहार्य है, उसे सह लेखक के उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी। अभ्यर्थी स्वयं नियमानुसार सह लेखक की व्यवस्था कर सकते हैं अथवा जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक उपलब्ध कराने हेतु निवेदन कर सकते हैं।

(iii) स्वयं के अथवा जिला/संभाग कार्यालय द्वारा उपलब्ध कराए गए सह लेखक की योग्यता परीक्षा के लिए निर्धारित न्यूनतम योग्यता मापदंड से कम होनी चाहिए तथापि सह लेखक की योग्यता सदैव मैट्रिक अथवा इससे अधिक होनी चाहिए। अपना सह लेखक लाने या जिला/संभाग कार्यालय को इसके लिए अनुरोध करने संबंधी विवेकाधिकार उम्मीदवार का है। परीक्षा में सह लेखक की सुविधा लेने वाले अभ्यर्थी जो जिला/संभाग कार्यालय से सह लेखक प्राप्त करना चाहते हो अथवा स्वयं सह लेखक लाना चाहते हो तो उन्हें ऑनलाइन आवेदन के समय उपलब्ध प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 पर उपलब्ध प्रारूप में प्रमाण-पत्र तैयार कर प्रपत्र-1 में सक्षम प्राधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त कर प्रपत्र-2 व प्रपत्र-3 में परीक्षार्थी के हस्ताक्षर, प्रपत्र-4 में सहलेखक के हस्ताक्षर के साथ अपने पास सुरक्षित रखा जाना है। जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक प्राप्त करने अथवा स्वयं अपने सह लेखक को परीक्षा दिवस के दिन अपने साथ ले जाने हेतु अभ्यर्थी को पूरी तरह से भरे हुए एवं हस्ताक्षरित (सक्षम अधिकारी, सहलेखक एवं स्वयं जो भी लागू हो) प्रपत्र 01, 02, 03 एवं 04 प्रस्तुत करने होंगे अन्यथा अभ्यर्थी सहलेखक के सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेंगे। स्वयं सहलेखक की व्यवस्था करने अथवा जिला/संभाग कार्यालय से सहलेखक की सुविधा लेने, दोनों ही स्थितियों में प्रपत्र 01, 02, 03 व 04 पूर्ण रूप से भरकर एवं संबंधित द्वारा हस्ताक्षरित कराकर संबंधित जिला/संभाग कार्यालय में प्रस्तुत कर, सहलेखक संबंधी अनुमति प्राप्त किया जाना अनिवार्य होगा अन्यथा परीक्षा दिवस के दिन अभ्यर्थी सहलेखक की सुविधा का उपयोग नहीं कर सकेंगे।

(iv) नेत्रहीनता, दोनों बाजूओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों के अंतर्गत बैचमार्क दिव्यांगता वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के प्रत्येक घंटे हेतु 20 मिनट प्रतिपूरक समय प्रदान किया जाएगा। प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 पर दिए गए प्रपत्र के अनुसार किसी सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्था के मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक द्वारा जारी इस आशय का प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर कि संबंधित उम्मीदवार लिखने में शारीरिक रूप से अक्षम है, यह सुविधा प्रदान की जाएगी। जिन अभ्यर्थियों को सहलेखक की सुविधा दी जाती है उन अभ्यर्थियों से अपेक्षा है कि वे इस संबंध में सभी औपचारिकताओं की पूर्ति हेतु प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात् परीक्षा तिथि के 05 दिन पूर्व आयोग द्वारा अधिकृत संबंधित जिला/संभाग कार्यालय से ऑनलाइन आवेदन के पश्चात् डाउनलोड किए गए प्रपत्र-1, प्रपत्र-2, प्रपत्र-3 एवं प्रपत्र-4 को भरकर तथा संबंधित के हस्ताक्षर प्राप्त कर संपर्क करें। जिला/संभाग कार्यालय द्वारा परीक्षा केन्द्राध्यक्ष के नाम से जारी पत्र जिसमें अभ्यर्थी को परीक्षा में सहलेखक के उपयोग की अनुमति सहलेखक के विवरण के साथ दी जाएगी।

(17) आयोग, उनकी दक्षता के क्रम में चयनित अभ्यर्थियों की अंतिम सूची तैयार करेगा जिसमें लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार में प्रत्येक अभ्यर्थी को

अंतिम रूप से दिये गये कुल अंक दर्शित होंगे। परंतु यह कि दो या अधिक अभ्यर्थियों द्वारा कुल बराबर अंक अभिप्राप्त करने पर, अधिक आयु के अभ्यर्थी का नाम, ऊपर रखा जायेगा। परंतु यह और कि यदि कुल समान अंक अभिप्राप्त करने वाले समान आयु के दो या दो से अधिक अभ्यर्थी हों तो, अभ्यर्थी, जिसने लिखित परीक्षा में अधिक अंक अभिप्राप्त किया हो, का नाम ऊपर रखा जायेगा।

- (18) यह विज्ञापन संबंधित विभाग के भर्ती नियम/मांग-पत्र के अनुरूप प्रकाशित किया जा रहा है। सेवा की शर्तें छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा (भर्ती तथा सेवा शर्तें) नियम, 2006 यथा संशोधित के अनुसार चयन प्रक्रिया की जावेगी, जो नियम उक्त (छत्तीसगढ़ निम्नतर न्यायिक सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम, 2006) भर्ती नियम में उल्लेख नहीं है वह आयोग के प्रक्रिया नियम-2014 (यथा संशोधित) के अनुसार प्रावधानित होगी।

(19) यात्रा व्यय का भुगतान :-

- (i) छत्तीसगढ़ के ऐसे मूल निवासी को, जो किसी सेवा में न हो तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा घोषित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग (गैर क्रीमीलेयर) के अभ्यर्थी हैं, छत्तीसगढ़ शासन के प्रचलित नियमों के अधीन परीक्षा में सम्मिलित होने पर साधारण दर्जे का वास्तविक टिकट किराया राशि का नगद भुगतान वापसी यात्रा के पूर्व परीक्षा केन्द्र पर केन्द्राध्यक्ष द्वारा किया जाएगा। अभ्यर्थियों को इसके लिये केन्द्राध्यक्ष को वांछित घोषणा-पत्र भरकर देना होगा तथा यात्रा भत्ते की पात्रता से संबंधित आवश्यक सभी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करने होंगे। अतः वे छत्तीसगढ़ शासन द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रदत्त जाति प्रमाण-पत्र की स्वयं के द्वारा अथवा राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि तथा यात्रा टिकट घोषणा पत्र के साथ संलग्न करें, तभी उन्हें टिकट किराया दिया जाएगा।

- (ii) साक्षात्कार के लिये-साक्षात्कार हेतु उपस्थित होने वाले उपरोक्त श्रेणियों के अभ्यर्थियों को साधारण दर्जे का वास्तविक टिकट किराया राशि का भुगतान नियमानुसार कंडिका 19 (i) में उल्लेखित वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर आयोग कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

- (20) किसी भी लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार से संबंधित प्राप्तांकों की सूची तभी जारी की जाएगी, जब संबंधित विज्ञापन के माध्यम से विज्ञापित पदों हेतु अंतिम चयन सूची जारी कर दी जाए।

- (21) विज्ञापन के संबंध में संपूर्ण जानकारी/संशोधन आदि का प्रकाशन आयोग की वेबसाइट में जारी/प्रकाशित किया जाता है। अभ्यर्थियों से यह अपेक्षा की जाती है कि वे आयोग के वेबसाइट/पोर्टल का सतत अवलोकन करते रहें। आयोग उपरोक्तानुसार प्रकाशित किये जाने वाले संशोधन/जानकारी की पृथक सूचना व्यक्तिशः जारी नहीं करेगा।

- (22) दावा आपत्ति निराकरण के बाद अंतिम चयन प्रक्रिया पूर्ण होने के पश्चात संशोधित मॉडल उत्तर आयोग के वेबसाइट में जारी किया जाएगा।

- (23) परीक्षा में प्रवेश के लिए किसी भी अभ्यर्थी की पात्रता या अन्यथा के बारे में आयोग का विनिश्चय अन्तिम होगा।

- (24) विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें/महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि का निर्वचन (Interpretation):-

इस विज्ञप्ति में उल्लेखित शर्तें महत्वपूर्ण निर्देश/जानकारी आदि के निर्वचन का अधिकार आयोग का रहेगा एवं इस संबंध में किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन मान्य नहीं किया जाएगा एवं आयोग द्वारा लिया गया निर्णय अंतिम तथा अभ्यर्थी पर बंधनकारी होगा।

सही / -

सचिव

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग,
नवा रायपुर अटल नगर

परिशिष्ट-5
प्रपत्र-1

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (घ) की परिभाषा के तहत कवर किए गए लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2(द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किए गए, अर्थात 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र।

यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने (गांव/पीओ/पीएस/जिला/राज्य) के निवासीके पुत्र/पुत्री, आयुवर्ष, (श्री/सुश्री/श्रीमति(उम्मीदवार का नाम) जो (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रस्त है, की जांच की हैऔर यह उल्लेख करते हैं कि उसकी सीमाएं हैं, जो उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती है। उसे परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त उम्मीदवार सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (विनिर्दिष्ट किया जाने वाला नाम) का उपयोग करता है जो उम्मीदवार के लिए स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है औरतक मान्य है (यह अधिकतम छः महीने या उससे कम की अवधि के लिए मान्य है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
आर्थोपेडिक/पीएमआर विशेषज्ञ	क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक/ पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/ मनोचिकित्सक/ विशेष प्रशिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी.....अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का मोहर सहित नाम

स्थान:

दिनांक:

परिशिष्ट-5
प्रपत्र-1

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (द) की परिभाषा के तहत कवर किए गए 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले विनिर्दिष्ट दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए प्रमाण पत्र।

यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने (गांव/पीओ/पीएस/जिला/राज्य) के निवासीके पुत्र/पुत्री, आयुवर्ष, (श्री/सुश्री/श्रीमति(उम्मीदवार का नाम) जो (दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) से ग्रस्त है, की जांच की हैऔर यह उल्लेख करते हैं कि उसकी सीमाएं हैं, जो उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता को बाधित करती है। उसे परीक्षा लिखने के लिए स्क्राइब की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त उम्मीदवार सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स और ऑर्थोटिक्स, हियरिंग एड (विनिर्दिष्ट किया जाने वाला नाम) का उपयोग करता है जो उम्मीदवार के लिए स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में बैठने के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में बैठने के उद्देश्य से जारी किया जाता है औरतक मान्य है (यह अधिकतम छः महीने या उससे कम की अवधि के लिए मान्य है जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जाएगा)

चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
आर्थोपेडिक/पीएमआर विशेषज्ञ	क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक/ पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/ मनोचिकित्सक/ विशेष प्रशिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	ओक्यूपेशनल थेरेपिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	अन्य विशेषज्ञ, जैसा कि अध्यक्ष द्वारा नामित किया गया है (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी.....अध्यक्ष				

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का मोहर सहित नाम

स्थान:

दिनांक:

परिशिष्ट-6
प्रपत्र-2

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (घ) की परिभाषा के तहत कवर किए गए, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किये गए विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अर्थात् 40 प्रतिशत से कम दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले व्यक्ति द्वारा वचनबंध

मैं(दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) वाला एक उम्मीदवार, जो (राज्य का नाम) के(जिले) में (परीक्षा का नाम) में रोल नंबर से (केंद्र का नाम) में बैठ रहा हूं। मेरी शैक्षणिक योग्यता है।

2. मैं एतद् द्वारा यह वचन देता हूं कि (लिखने वाले का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूं कि उनकी योग्यता है। इस मामले में, बाद में यदि यह पाया जाता है कि उनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा घोषित नहीं है और पद हेतु निर्धारित योग्यता से अधिक है तो मैं पद से संबंधित दावों के अपने अधिकार को खो दूंगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(अभिभावक/संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर, यदि उम्मीदवार नाबालिग हैं)

स्थान:

दिनांक:

परिशिष्ट-6
प्रपत्र-2

आरपीडब्ल्यूडी अधिनियम, 2016 की धारा 2 (घ) की परिभाषा के तहत कवर किए गए, लेकिन उक्त अधिनियम की धारा 2 (द) की परिभाषा के तहत कवर नहीं किये गए विनिर्दिष्ट दिव्यांगता अर्थात 40 प्रतिशत या अधिक दिव्यांगता वाले और लिखने में कठिनाई होने वाले व्यक्ति द्वारा वचनबंध

मैं(दिव्यांगता की प्रकृति/स्थिति) वाला एक उम्मीदवार, जो (राज्य का नाम) के(जिले) में (परीक्षा का नाम) में रोल नंबर से (केंद्र का नाम) में बैठ रहा हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता है।

2. मैं एतद् द्वारा यह वचन देता हूँ कि (लिखने वाले का नाम) उपरोक्त परीक्षा देने के लिए अधोहस्ताक्षरी के लिए स्क्राइब की सेवा प्रदान करेगा।

3. मैं एतद् द्वारा वचन देता हूँ कि उनकी योग्यता है। इस मामले में, बाद में यदि यह पाया जाता है कि उनकी योग्यता अधोहस्ताक्षरी द्वारा यथा घोषित नहीं है और पद हेतु निर्धारित योग्यता से अधिक है तो मैं पद से संबंधित दावों के अपने अधिकार को खो दूंगा।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(अभिभावक/संरक्षक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर, यदि उम्मीदवार नाबालिग हैं)

स्थान:

दिनांक:

परिशिष्ट-7

प्रपत्र-3

प्रति,

कलेक्टर,

जिला _____

विषय:- आयोग द्वारा आयोजित _____ परीक्षा में सह लेखक प्रदाय करने संबंधी।

—00—

विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं _____ पिता श्री _____ आयोग द्वारा आयोजित _____ परीक्षा दिनांक _____ में सम्मिलित हो रहा/रही हूँ। इस परीक्षा में मैं एक दृष्टिहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों से संबंधित दिव्यांग (_____ प्रतिशत) अभ्यर्थी हूँ।

मैं दृष्टिहीनता, दोनों बाजुओं से प्रभावित और प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात श्रेणियों से संबंधित दिव्यांग अभ्यर्थी होने के कारण स्वयं लिख नहीं सकता/सकती हूँ।

अतः मैं श्री/सुश्री _____ पिता श्री _____ को सह लेखक के रूप में रखना चाहता हूँ/चाहती हूँ।

अतः आपसे निवेदन है कि सह लेखक के रूप में श्री/सुश्री _____ पिता श्री _____ को सह लेखक के रूप में मान्य करते हुए प्रदाय करने की कृपा करें।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर _____

अभ्यर्थी का नाम _____

अभ्यर्थी का ई-मेल _____

अभ्यर्थी का मोबाईल नम्बर _____

परिशिष्ट-8

प्रपत्र-4

छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर
सह लेखक द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाले स्व-घोषणा पत्र

1. परीक्षा का नाम वर्ष
2. परीक्षा का प्रकार (ऑनलाइन/ऑफलाइन).....
3. परीक्षा का दिन व समय
4. परीक्षा केन्द्र का क्रमांक व नाम
5. अभ्यर्थी का नाम
6. अभ्यर्थी का अनुक्रमांक
7. अभ्यर्थी के पिता का नाम
8. सह लेखक का नाम
9. सह लेखक के पिता का नाम
10. सह लेखक द्वारा धारित उच्चतम शैक्षणिक योग्यता

स्व-घोषणा पत्र

मैं निष्ठापूर्वक यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि मैं स्वयं की सहमति से अभ्यर्थी श्री/सुश्री..... को परीक्षा में उनके कहे अनुसार परीक्षा दिलाने में मदद करने के लिए सह लेखक के रूप में उपस्थित हुआ/हुई हूँ। मेरी उच्चतम शैक्षणिक योग्यता है। मेरे द्वारा स्वयं के विवेक से किसी भी प्रश्न के उत्तर को लिखने अथवा सुधारने का प्रयास नहीं किया जाएगा। उक्त दिव्यांग अभ्यर्थी के कहे अनुसार ही शब्दशः उत्तर लिखे अथवा चुने जाएंगे। मेरे द्वारा की गई उक्त घोषणा का कोई भी अंश चयन के किसी भी स्तर पर अथवा चयन के पश्चात कभी भी गलत पाया जाता है, तो मेरे विरुद्ध अनुशासनिक/कानूनी कार्यवाही करने का सम्पूर्ण अधिकार छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग व/अथवा संबंधित विभाग को होगा तथा इस संबंध में मेरे द्वारा किसी प्रकार का वाद प्रस्तुत नहीं किया जाएगा।

सह लेखक के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर/
अंगुठे का निशान

केंद्राध्यक्षक के हस्ताक्षर व
केंद्र की सील

Appendix - 'A'

ब्यवहार न्यायाधीश (प्रवेश स्तर) परीक्षा-2023

Examinations Scheme

The Examination shall be conducted by the CGPSC in three parts for the aforesaid post. In the first part Preliminary Examination shall be conducted to restrict the number of candidates to the reasonable limit for the Main Examination.

Scheme and syllabus for the Preliminary Examination & Main Examination has been published in the advertisement under Appendix 'B' and Appendix 'C'. Information regarding Date & Time of Main Examination will be published later on.

Scheme of Preliminary Examination:-

- (1) Question paper for Preliminary Examination shall be of 100 marks and will consist of 100 objective type questions. Each question will have four options for answer, out of which one option will be the correct answer.
- (2) Candidates shall have to tick the correct option.
- (3) The language of question paper of Preliminary Examination and Main written Examination will be English and Hindi.
- (4) The relatively more meritorious candidates from among those who appeared in the Preliminary Examination in the **ratio of 1:10** having regard to the number of vacancies shall be declared qualified for appearing in the Main Examination. The candidates obtaining equal marks as obtained by the last qualified candidates shall also be declared as qualified, though, in consequence the number of candidates declared as qualified may exceed the parameter of 10 times the number of Notified Vacancies. The same procedure will be adopted for Viva-voce in the Main Examination while declaring the candidates qualified on the basis of merit possibly three times against the number of vacancies.
- (5) The final selection will be on merit on the basis of total marks obtained in the written (Main) Examination and Viva-voce. The decision of the CGPSC with regard to calling the candidates for Viva-voce will be final. The maximum 15 marks are fixed for

Viva-voce.

- (6) A candidate belonging to unreserved category has to secure minimum 33% marks in the viva-voce and those belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes shall be required to secure minimum 25% marks in the viva-voce.

Note :-

- (a) There shall be a screening test in the Preliminary Examination to shortlist candidates for the Main Examination. **The mark sheet for Preliminary Examination will not be issued, nor the marks obtained in that Examination will be added while preparing merit list of the Main Examination.**
- (b) The candidates remaining absent in the Viva-voce shall be disqualified for the selection.

(7) Examination Centre:-

For Preliminary Exam

1. Bilaspur
2. Durg-Bhilai
3. Raipur

For Main Exam

1. Bilaspur
2. Raipur

Note:-It is not necessary that the Examination centre opted by the candidates will be allotted to them. Looking to the capacity and administrative convenience, the CGPSC will allot the Examination centre even other than mentioned or may delete any examination centre given in the list. The candidates shall have to appear in Examination at the allotted centre.

□□□

Appendix - 'B'**(a) Preliminary Examination**

(No. of Question - 100, Time - 2:00 Hour, Marks - 100)

The Preliminary Examination shall be of the duration of two hours consisting of **100 objective type questions** from the following:-

- (1) Indian Penal Code
- (2) Code of Civil Procedure
- (3) Code of Criminal Procedure
- (4) Indian Evidence Act
- (5) Constitution of India
- (6) Transfer of Property Act
- (7) Contract Act
- (8) Limitation Act
- (9) The Chhattisgarh Rent Control Act, 2011
- (10) Court Fees Act
- (11) Specific Relief Act
- (12) Registration Act
- (13) Chhattisgarh Land Revenue Code
- (14) The Negotiable Instruments Act, 1881
- (15) The Chhattisgarh Excise Act, 1915

Appendix - 'C'**(b) Main Examination (Written)**

(Time - 3:00 Hour, Marks - 100)

For Main Examination, the relatively more meritorious candidates from among those who appeared in the Preliminary Examination in the ratio of 1:10 having regard to the number of vacancies shall be called for Main Examination (Written) to be conducted which shall consist of:

- (i) Framing of issues and writing of Judgement in Civil Cases

(Maximum Marks - 40)

- (ii) Framing of charges and writing of Judgement in Criminal Cases

(Maximum Marks - 40)

- (iii) Translation:-

- (1) English to Hindi-

(Maximum 10 marks)

- (2) Hindi to English-

(Maximum 10 marks)**(c) Viva-Voce:-**

Relatively more meritorious candidates from among those who appeared in the Main Examination in the ratio of 1:3 having regard to the number of vacancies, shall be called for viva-voce to be conducted. **The maximum marks for Viva-voce would be 15.**

- (i) A candidate belonging to unreserved category has to secure minimum 33% marks in the viva-voce and those belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes/Other Backward Classes shall be required to secure minimum 25% marks in the viva-voce.

□□□

Appendix - 'D'

“ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में निर्देश एवं जानकारी”

ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश निम्नानुसार हैं:-

(कृपया आवेदन भरने से पहले विज्ञापन में दी गई समस्त जानकारी और शर्तों को अच्छी तरह पढ़ लें)

ऑनलाइन आवेदन हेतु सक्रिय लिंक वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर निर्धारित तिथियों में उपलब्ध रहेंगे।

- (1). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में अभ्यर्थी को सर्वप्रथम एक Candidate's Registration पेज प्राप्त होगा। उक्त पेज में नाम, पिता का नाम, माता का नाम, मूल निवास, वर्ग, लिंग, जन्मतिथि, मोबाइल नम्बर तथा ई-मेल आई.डी. इत्यादि की प्रविष्टि करने पर, यदि अभ्यर्थी आयु सीमा की शर्तों को पूर्ण करता हो, तो उसे प्रविष्टि किए गए मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. पर ऑनलाइन आवेदन हेतु रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड प्राप्त होगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड सुरक्षित रखें। चयन के प्रत्येक स्तर पर रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड के प्रयोग से ही जानकारी प्राप्त करने अथवा प्रदान करने का कार्य किया जा सकेगा। अभ्यर्थी संबंधित चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक अपना मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. न बदलें तथा उसे एक्टिव रखें। मोबाइल व/अथवा सिम खो जाने या खराब हो जाने की स्थिति में तत्काल मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनी से संपर्क कर Candidate's Registration हेतु प्रयुक्त किए गए मोबाइल नम्बर को चालू करवाएं। आयोग द्वारा अन्य आवश्यक सूचनाएं उक्त मोबाइल नम्बर व ई-मेल आई.डी. पर दी जाएंगी।
- (2). अभ्यर्थी अपने रजिस्टर्ड मोबाइल व ई-मेल आई.डी. पर प्राप्त रजिस्ट्रेशन आई.डी. एवं पासवर्ड का प्रयोग कर ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को समस्त आवश्यक जानकारियां दर्ज कर अपना फोटो एवं हस्ताक्षर अपलोड करना होगा। Submit बटन के माध्यम से पूरी तरह भरे गए ऑनलाइन आवेदन को जमा करने पर अभ्यर्थी को शुल्क भुगतान की प्रक्रिया हेतु पेज प्राप्त होगा, जिस पर उपलब्ध भुगतान विकल्पों में से किसी एक विकल्प का चयन कर शुल्क भुगतान किया जा सकेगा। सफलतापूर्वक शुल्क भुगतान कर लेने पर अभ्यर्थी को अपने आवेदन की रसीद प्राप्त होगी। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि निर्धारित शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है। ऐसा नहीं होने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत ऑनलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। चयन प्रक्रिया पूर्ण होने तक, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए ऑनलाइन आवेदन की पावति एवं भुगतान की रसीद का प्रिंट अपने पास रखना तथा आयोग द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- (3). ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया से लेकर अंतिम चयन की प्रक्रिया तक सभी आवश्यक सूचनाएं आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध कराई जाएंगी। अभ्यर्थी नियमित रूप से उक्त वेबसाइट का अवलोकन करते रहे। किसी भी अभ्यर्थी को कोई भी सूचना व्यक्तिगत रूप से पत्र/SMS देने हेतु आयोग बाध्य नहीं होगा तथा इस आधार पर कोई भी अभ्यर्थी आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सकेगा।
- (4). आवेदक स्वयं अपने घर से या इंटरनेट कैफे के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन भरकर परीक्षा शुल्क का भुगतान, निर्धारित भुगतान विकल्प चुनकर, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के माध्यम से कर सकते हैं।
- (5). ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के फोटोग्राफ संबंधी निर्देश:- आवेदक ऑनलाइन आवेदन हेतु विज्ञापन जारी होने की तिथि या उसके बाद की तिथि में खिचवाया हुआ पासपोर्ट साइज का फोटो अपने पास रखें। फोटो का बैकग्राउंड सफेद/हल्के रंग का होना चाहिए तथा फोटो में अभ्यर्थी की दोनों आंखें स्पष्ट दिखाई देनी चाहिए। फोटो के निचले हिस्से पर अभ्यर्थी का नाम तथा फोटो खिचवाने की तिथि प्रिंट की हुई होनी चाहिए। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार खिचवाए गए फोटो को स्कैन कर .JPG फाइल (अधिकतम

साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्कैन करते समय केवल फोटो को ही स्कैन किया जाए, बैकग्राउंड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो/Reflective Document Mat) को नहीं। अभ्यर्थी उक्त फोटो की 3 प्रतियां (Hard Copies) अपने पास अवश्य रखें। मविष्य में आयोग द्वारा निर्देशित किए जाने पर अभ्यर्थी को उक्त फोटो प्रस्तुत/प्रेषित करना अनिवार्य होगा।

- (6). ऑनलाइन आवेदन के लिए अपलोड किए जाने हेतु, अभ्यर्थी के हस्ताक्षर संबंधी निर्देश:- ऑनलाइन आवेदन के दौरान अभ्यर्थी को अपना हस्ताक्षर पृथक अपलोड करना होगा, इस हेतु अभ्यर्थी एक सफेद कागज पर काले बॉल प्वाइंट पेन से हस्ताक्षर करें। अभ्यर्थी उक्त निर्देशानुसार हस्ताक्षरित कागज को स्कैन कर .JPG फाइल (अधिकतम साइज 100KB) तैयार कर/करवा लें। इस बात का विशेष ध्यान रखा जाए कि स्कैन करते समय केवल हस्ताक्षर को ही स्कैन किया जाए, बैकग्राउंड (कागज जिस पर फोटो चिपकाया गया हो/Reflective Document Mat) को नहीं।
- (7). ऑनलाइन आवेदन करते समय ध्यान रखना चाहिए कि जानकारी जो ऑनलाइन आवेदन में वाही गई है की सही-सही प्रविष्टि की जाए।
- (8). आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन करने की प्रक्रिया में यह समझ लिया गया है कि, आवेदक द्वारा जो जानकारी ऑनलाइन आवेदन में अंकित की जा रही है वह प्रमाणित जानकारी है। अतः ऑनलाइन आवेदन Submit करने के पूर्व आवेदक अपने आवेदन की समस्त प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक भलीभांति पढ़ एवं समझ लें। आवेदक अपने द्वारा दी गई जानकारी से संतुष्ट होने के पश्चात् ही ऑनलाइन आवेदन को Submit बटन क्लिक कर जमा करें तथा आवेदन शुल्क अदा करें।
- (9). ऑनलाइन आवेदन Submit करने के तथा शुल्क अदा करने के बाद अभ्यर्थी को अपने ऑनलाइन आवेदन तथा भुगतान की रसीद प्राप्त होगी। जिन्हें प्रिंट कर अभ्यर्थी अपने पास सुरक्षित रखें। चयन प्रक्रिया के आगे के चरणों में मांगे जाने पर उक्त को आयोग के समक्ष प्रस्तुत करना होगा। सामान्यतः प्रवेश पत्र जारी होने के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा भुगतान की रसीद उपलब्ध नहीं रहती है। अतः आयोग द्वारा ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा/अथवा शुल्क भुगतान की रसीद उपलब्ध कराने हेतु दिए गए अभ्यावेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर ले कि उसके द्वारा निर्धारित शुल्क का भुगतान सफलता पूर्वक कर दिया गया है।
- (10). ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार का कार्य निर्धारित तिथि में ऑनलाइन किया जा सकेगा। त्रुटि सुधार केवल एक बार ही किया जा सकेगा। अंतिम तिथि के पश्चात् ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टि में किसी भी प्रकार का संशोधन नहीं किया जाएगा तथा इस संबंध में आयोग किसी भी अभ्यावेदन पर विचार नहीं करेगा।
- (11). आवेदक यह ध्यान रखें कि विज्ञापित पद के आवेदन पत्र में हुई किसी भी त्रुटि का सुधार चयन के किसी भी स्तर पर नहीं किया जा सकेगा। अतः अभ्यर्थी अपना आवेदन अत्यंत सावधानी पूर्वक भरें। यदि फिर भी कोई त्रुटि होती है तो त्रुटि सुधार अवधि में वांछित सुधार कर लें।
- (12). ऑनलाइन आवेदन/त्रुटि सुधार हेतु पोर्टल शुल्क :-
 - (i) प्रत्येक ऑनलाइन आवेदक के लिए निर्धारित परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त पोर्टल शुल्क + जीएसटी शुल्क देय होगा।
 - (ii) ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर आवेदक द्वारा त्रुटि सुधार निर्धारित तिथियों में केवल एक बार निःशुल्क किया जा सकता है।
 - (iii) प्रवर्ग सुधार के मामलों में यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित वर्ग के रूप

में भरे गए अपने ऑनलाइन आवेदन में सुधार कर उसे अनारक्षित वर्ग किया जाता है तो उसे शुल्क के अंतर की राशि का भुगतान करना होगा किन्तु अनारक्षित वर्ग में परिवर्तन की स्थिति में शुल्क अंतर की राशि वापस नहीं की जाएगी।

- (iv) परीक्षा शुल्क तथा पोर्टल चार्ज किसी भी परिस्थिति में वापसी योग्य नहीं है।

नोट:-

- (i) आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रति तथा शुल्क भुगतान की रसीद में दी गई जानकारी को ध्यानपूर्वक पढ़ लें और अपने पास संभालकर रखें तथा यह सुनिश्चित कर लें कि शुल्क का भुगतान सफलतापूर्वक हो गया है।
- (ii) जानकारी की शुद्धता एवं सत्यता तथा आवेदन प्रक्रिया पूर्ण करने का पूरा उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।
- (iii) किसी भी साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान के माध्यम से आवेदन करते समय आवेदक ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया अपनी निगरानी में ही करवाएं। ऑनलाइन आवेदन में हुई किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिए आवेदक साइबर कैफे अथवा अन्य संस्थान अथवा आयोग को उत्तरदायी नहीं ठहरा सकेंगे।
- (iv) कार्ड/नेट बैंकिंग/कैश डिपॉजिट के माध्यम से किसी भी शुल्क के भुगतान (यदि कोई हो) की प्रक्रिया में यदि संबंधित बैंक द्वारा किसी प्रकार का सेवा शुल्क लिया जाता है तो उसके भुगतान का दायित्व आवेदक का होगा। आवेदक ऑनलाइन बैंकिंग के दौरान फिशिंग/हैंकिंग अथवा अन्य साइबर गतिविधि से बचने के लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे।
- (v) ऐसे आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे जिन्हें ऑनलाइन भरने के बाद प्रिंट लेकर छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग को डाक या किसी अन्य माध्यम से भेजा जाएगा। परीक्षा शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का ड्राफ्ट भी स्वीकार नहीं होगा। ऐसा करने पर आवेदनों को मान्य न करते हुए निरस्त कर दिया जाएगा, और उसकी जिम्मेदारी आवेदक की ही मानी जाएगी।

प्रवेश पत्र व साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र:-

- (1) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र परीक्षा/साक्षात्कार के लगभग 10 दिन पूर्व अपलोड किए जाएंगे एवं इसकी सूचना पृथक से नहीं दी जाएगी।
- (2) प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र व्यक्तिगत रूप से नहीं भेजे जाएंगे अपितु केवल आयोग की वेबसाइट www.psc.cg.gov.in पर उपलब्ध होंगे। इस संबंध में किया गया कोई भी पत्राचार मान्य नहीं होगा।
- (3) किसी भी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में तब तक प्रवेश नहीं दिया जाएगा जब तक कि उसके पास आयोग द्वारा जारी किया गया प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र न हो।
- (4) अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में प्रवेश पत्र के साथ **ID Proof** हेतु मतदाता पहचान पत्र/पासपोर्ट/ड्राइविंग लाइसेंस/पैन कार्ड/आधार कार्ड/स्मार्ट कार्ड (राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर की योजना के तहत आरजीआई द्वारा जारी)/स्वास्थ्य बीमा योजना स्मार्ट कार्ड फोटो सहित (भ्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी)/जॉब कार्ड फोटो सहित (एनआरईजीए योजना के तहत)/सेवा पहचान पत्र फोटो सहित (राज्य/केन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, स्थानीय निकाय, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी)/पासबुक एवं किसान पासबुक फोटो सहित (सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक/झाकसर द्वारा जारी)/छात्र पहचान पत्र (स्कूलों/कालेजों द्वारा जारी)/बीपीएल परिवार को जारी राशन कार्ड/संपत्ति के दस्तावेज फोटो सहित जैसे-पट्टा, पंजीकृत डिड्स/एस.सी., एस.टी., ओ.बी.सी. प्रमाण पत्र फोटो सहित (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी)/फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, भूतपूर्व सैनिकों की पेंशन किताब, भूतपूर्व सैनिकों की विधवा या आश्रित प्रमाण पत्र, वृद्धावस्था पेंशन आदेश, विधवा पेंशन आदेश/शारीरिक विकलांग प्रमाण पत्र फोटो सहित में से एक दस्तावेज लाना आवश्यक होगा, इसके अभाव में प्रवेश नहीं दिया जायेगा।
- (5) यदि प्रवेश पत्र/साक्षात्कार हेतु बुलावा पत्र पर मुद्रित फोटो व हस्ताक्षर अथवा दोनों अस्पष्ट या अवैध हों तो प्रवेश पत्र पर निर्देशानुसार कार्यवाही न करने पर केन्द्राध्यक्ष/जांच अधिकारी अभ्यर्थी को परीक्षा/साक्षात्कार में सम्मिलित होने से वंचित कर सकेंगे।